

(193)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र03-विविध(प्रशिक्षण)-01/2020 3660 खाद्य/पटना, दिनांक- 18/08/2022
प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम,
खाद्य भवन, पटना।
जिला पदाधिकारी,
गया, अररिया, सीवान एवं नवादा।

विषय:- बिहार आपूर्ति सेवा के आपूर्ति निरीक्षकों को प्रशिक्षण देने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार आपूर्ति सेवा अंतर्गत आपूर्ति निरीक्षकों के सप्तम् एवं अष्टम् बैच का सांस्थिक प्रशिक्षण (Induction Training) बिपार्ड द्वारा दिनांक 23.08.2022 से 06.09.2022 तक राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान(RSTI), बोधगया में निर्धारित है।

उक्त प्रशिक्षण से संबंधित कोर्स मॉड्यूल में विभागीय विषयों के जानकार संसाधन व्यक्तियों का नाम एवं पदनाम निम्नवत है :-

- (i) श्री उदय प्रताप सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, अधिप्राप्ति, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना।
- (ii) श्री जनार्दन प्रसाद अग्रवाल, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया।
- (iii) श्री बालमुकुन्द शर्मा, प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अररिया।
- (iv) श्री समरेन्द्र कुमार, प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सीवान।
- (v) श्री अजय कुमार प्रभाकर, प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नवादा।
- (vi) श्री आलोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त सहायक अनुभाजन पदाधिकारी, पटना सम्प्रति सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीवान।
- (vii) श्री कुमार निखिल, तकनीकी प्रबंधक, पी0एम0यू0, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना।

अतः अनुरोध है कि उक्त के निमित बिपार्ड द्वारा समन्वय स्थापित किये जाने की स्थिति में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण/व्याख्यान देने हेतु संबंधितों को ससमय निदेशित/विरमित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक:- प्र03 विविध (प्रशिक्षण)-01/2020 3660 खाद्य, पटना/दिनांक- 18/08/2022
प्रतिलिपि:- निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना एवं अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि श्री आलोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त सहायक अनुभाजन पदाधिकारी, पटना सम्प्रति सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीवान को उक्त निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण देने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

196

ज्ञापांक:- प्र03 विविध (प्रशिक्षण)-01/2020 3660 खाद्य, पटना/दिनांक- 18/08/2022
प्रतिलिपि:- विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

पत्रांक-प्र03-विविध(प्रशिक्षण)-01/2020 3660 खाद्य/पटना, दिनांक- 18/08/2022
प्रतिलिपि- सभी विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
पटना/संबंधित सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/संबंधित सभी अनुमंडल पदाधिकारी/
संबंधित सभी पदाधिकारी एवं कर्मी तथा आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।